विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/299 दिनांक : 02/02/19

प्रति,

प्राचार्य,
श्री एस.आर.तिवारी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
नेवड़, जिला–नीमच।

विषय :– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/VU1808130007,दिनांक 14.08.2018,एवं REN32300351, दिनांक 26.07.2018,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 17.11.2018 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2018 एवं 25.01.2019 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,"निर्णय लिया गया कि,श्री एस.आर.तिवारी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,नेवड़,जिला–नीमच में सत्र 2018–19 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.ए.बी.एड.–तृतीय वर्ष,की सम्बद्धता एवं बी.एड.पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा मान्य की गई। तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2018–19 में उपरोक्त विषयों की अस्थाई सम्बद्धता एवं सम्बद्धता–निरंतरता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2018–2019 से शर्तो के अधीन **कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में** सत्र 2018–19 में महाविद्यालय की एवं निम्नांकित पाठ्यक्रम अस्थाई संबद्धता एवं पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.ए.बी.एड.–तृतीय वर्ष	50 (सम्बद्धता)
02.	बी.एड.	50 (निरंतरता)

शर्ते :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.01.2019 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
02. पुस्तकालय में आवेदित नवीन पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से क्रय की जाएं।
03. खेल मैदान का उन्नयन किया जाये एवं खेल सामग्री उपलब्ध क्रय करें।

* **उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,एवं विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की अनुशंसानुसार पूर्ति किये जाने का पालन-तिवेदन मय प्रमाण अनिवार्यतः पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह की अवधि में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जावे,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनःविचार किया जावेगा।**

* **आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता–निरंतरता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधी में करें।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/300 दिनांक : 2/2/19

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. क्षेत्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल।
4. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्राचार्य,स्वामी विवेकानंद शा.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,नीमच।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)